भूमिका

भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति समय, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रही है। वैदिक काल में स्त्री की स्थिति काफी मजबूत और प्रतिष्ठापूर्ण थी लेकिन धीरे-धीरे उसकी स्थितियों में बदलाव होने लगा। वक्त के साथ महिला को कमजोर और बेबस बनाने की पूरी कोशिश की गई। वैदिक काल में पुरुषों की सभा में शास्त्रार्थ करने वाली महिला बाद के कालखण्ड़ में घर की चारदीवारी के बीच कैद हो कर रह गई और पुरुष के पैर की जूती तक बना दी गई। वैदिक समाज में महिलाओं को पर्याप्त स्वतन्त्रता थी, वे अपना वर स्वयं चुनती थी लेकिन बाद के दौर में स्त्री का विवाह कम उम्र में होने लगा। इसी कारण मध्यकाल में उनकी स्थिति दयनीय हो गई, जबकि आधुनिक काल में महिलाएँ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जूझ रही हैं। अपने अधिकार पाने के लिए प्रयासरत है एवं अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही हैं।

भारत में महिला हमेंशा से ही शोषण का शिकार रही है। पुरुष इस सत्य को हमेशा नकारता रहा है कि समाज की उन्नति निर्माण और विकास में महिला-पुरुष सामान रूप से सहभागी हैं। वैसे तो पुरे भारतीय समाज की स्त्रियां पुरुष प्रधानता समाज के बोझ तले कराह रही है। पर जहाँ तक दलित महिलाओं का प्रश्न है वह दोहरे शोषण का शिकार हैं। दलित महिलाओं को न केवल अपने समाज की पितृसत्ता को झेलना पड़ता है बल्कि सवर्ण समाज के पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किये गए जाति भेद व अत्याचारों को सहना पड़ता है।

दलित महिलाएं आज भी गुलामी का जीवन जी रही है। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार, मारपीट, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाना आदि घटनाएं बड़ी बात नहीं समझी जाती है। दलित महिलाओं पर आज भी प्रत्येक स्तर पर चाहे वह शहरी या ग्रामीण क्षेत्र, उच्च पद पर आसीन हो या गृहणी अत्याचार हो रहे है।

भारतीय सविधान के निर्माता दलितों के जीवन दाता डॉ.आंबेडकर ने कहा है था कि, “मैं किसी भी समाज की उन्नति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है|” महिलाएं मानव समाज की आधी आबादी हैं और आधी आबादी को अधिकार हिन् बनाए रखने से किसी भी मानव समाज का विकास नहीं हो सकता।

डॉ.बाबासाहेब ने संविधान का निर्माण किया तो उसमें भी समस्त महिलाएँ तथा दलित महिलाएं जो देश की आधी आबादी हैं इनके लिए संविधान में स्त्री पुरुष समानता का अधिकार दिया है। सविधान के तहत "कोई भी व्यक्ति लिंग, वर्ण, वंश, जाति, के आधार पर भेदभाव नहीं करे"। सभी स्तर पुरुष सामान है। संविधान द्वारा आरक्षण की वजह से ही आज महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला है। और इस वजह से हमें जो कुछ भी दलित महिलाएं नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में दिख रही है।

महिलाओं की संख्या पुरुषों के समान है फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत सिमित है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढाने की बाते सभी करते है लेकिन महिलाओं की राजनीतिक आरक्षण की बात आती है तो इस का विरोध किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद से लगातार विधान सभा एवं लोक सभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग हो रही है लेकिन पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते यह कानून नहीं बन पा रहा है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढाने के लिए सिर्फ पंचायत स्तर तक ही राजनीति में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के दिया गया है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने बताया था कि "सत्ता वह मास्टर चाभी है, जिससे आप सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं|" भारत में दलित महिलाओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक सत्ता हाथ में लेनी होगी तभी वह दोहरे शोषण से मुक्ति मिल सकती है।

पंचायत स्तर तक महिलाओं को 50 प्रतिशत कानून आरक्षण मिला है। जब कि 50 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से दलित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है और उन्हें सत्ता में भागीदारी करने का अवसर मिला है। जातिवाद मानसिकता के चलते सिर्फ आरक्षित स्थानों तक ही दलित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सिमटी हुई है। पंचायत में उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकारों को समझना सिखा है लेकिन विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं संसद तक निर्णय प्रक्रिया में दलित महिलाओं की भागीदारी अभी अधूरी है। राजनीति में दलित महिलाओं की भागीदारी कम क्यों है और इसके क्या कारण हो सकते हैं वह कौन से पहलू है जो दलित महिलाएँ पीछे है इसका अध्ययन विस्तृत रूप से इस लघु-शोध प्रबंध में किया जाएगा।

प्रस्तुत लघु शोध-प्रबंध का विषय "वर्तमान के राजनीतिक क्षेत्र में दलित महिलाओं की भागीदारी" (उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में दलित महिलाओं की राजनीति भागीदारी का अध्ययन) है। दलित महिलाएं सदियों से शोषित है वह पुरुष प्रधान संस्कृति तथा वर्ण-व्यवस्था से गुलामी का जीवन

बिता रही थी उसे गुलामी से, शोषण से मुक्ति डॉ. आंबेडकर ने संविधान के माध्यम से समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के तहत दी है इस को दर्शाया है।

अनुक्रमणिका

प्रमाण पत्र	पेज न.
घोषणा पत्र	
समर्पण	
आभार	I-II
भूमिका	III-VII
अध्याय-प्रथम :-शोध विषय का परिचय	
1.1 प्रस्तावना (Introduction)	7-27
1.2 साहित्यक पुनरवलोकन (Literature review)	
1.3 अध्ययन का कार्यकाल	
1.4 अध्ययन क्षेत्र (Research Area)	
1.5 अध्ययन का उद्देश्य एवं महत्त्व	
1.6 शोध की परिकल्पना (Hypothesis)	
1.7 शोधा प्राविधि (Research Methodology)	
1.8 अध्ययन के स्रोत (Source of Study)	
1.9 अध्यायीकरण (Chapterization)	
1.10 अनुसूची प्रश्नावली	
1.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-:	

द्वितीय अध्याय

द्वितीय अध्याय :-भारत में एतिहासिक परिपेक्ष में दलित महिलाओं की राजनीतिक स्थिति-: एक अध्ययन **28-52**

2.1 दलित की परिभाषा एवं अर्थ

2.2 दलित राजनीति क्या है

2.3 दलित महिलाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.4 राजनीति से समाज में परिवर्तन

तृतीय अध्याय-:

तृतीय अध्याय :-वर्तमान में दलित महिलाओं में राजनीति एवं विचारक **53-78**

3.1 दलित महिला राजनीति आन्दोलन

3.2 दलित महिला एवं डॉ.आंबेडकर

3.3 उत्तर प्रदेश में दलित महिला और कांशीराम

3.4 महिला आरक्षण और दलित राजनीति एवं महिला राजनीतिकरण

चतुर्थ अध्याय

अध्याय चतुर्थ :-सीतापुर में दलित महिलाओं की राजनीति में भागीदारी **79-131**

4.1 सीतापुर में दलित महिला राजनीतकरण

4.2 सीतापुर में पंचायती राज में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

4.3 सीतापुर में पंचायती राज में राजनीतिक आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण

पंचम अध्याय

पंचम अध्याय :-निष्कर्ष एवं सुझाव **139-143**

- निष्कर्ष
- सुझाव
- परिशिष्ट :-
- प्रश्नावली
- फोटो